निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ

प्र0सं0–09 / 2017 / प्रा.पत्र निर्णय दिनांक :– 08.02.2018

अनवान

1. श्रीमती गंगादेवी पत्नी हीरा सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
2. श्रीमती चुनीदेवी पत्नी प्रताप सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़

-----प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हीरा सिंह पिता नीमसिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
2. श्री देवी सिंह पिता पीथा सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
3. श्री संग्राम सिंह पिता सुजान सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
4. श्री विक्रमसिंह पिता हरी सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़
5. श्री नेनू सिंह पिता पीथा सिंह रावत निवासी सोहनगढ़ तहसील देवगढ़

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रदीप कुमार वकील प्रार्थी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य तथा खातेदारी कब्जे की भूमि मौजा सोहनगढ़ पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ में स्थित है जिसके आराजी नं. 1108 / 1850 रकबा 40.00 बीघा है। उक्त कुलिया भूमि पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काश्त वगैरह करते चले आ रहें है परन्तु प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा स्थायी सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए विवश होना पड़ता है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि का शांतिपूर्वक काश्त भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहें है। यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती सीमांकन व पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा–हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त वगैरह व भूमि का उपयोग–उपभोग कर सकेंगे। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में नियत सुनवाई दिनांक को विपक्षी संख्या 1, 2, 3 को सम्मन तामिल हो जाने पर भी उपस्थित नही हुए जिस पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत् पत्रावली की प्रोसीडिंग पर लिख कर निवेदन किया जिस पर विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। ग्राम सोहनगढ़ पटवार हल्का ताल की आराजी नं. 1108 / 1850 रकबा 40.00 बीघा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण ग्राम सोहनगढ़ पटवार हल्का ताल की आराजी नं. 1108 / 1850 रकबा 40.00 बीघा भूमि के खातेदार है। तथा खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार है खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकते है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सोहनगढ़ पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की आराजी नं. 1108 / 1850 रकबा 40.00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी करा रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

Scanned by CamScanner